बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 15 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 20.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.30 अपराह्न तक

1. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

माननीय उप सभापति महोदय ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 28 के अंतर्गत दिनांक 19.3.2018 की कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को सदन के समक्ष उपस्थापित किया, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए –

1. बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2018 के लिए पूर्व से निर्धारित कार्य अब मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2018 को लिए जाएं।

2. बुधवार, दिनांक 4 अप्रील, 2018 के लिए पूर्व से निर्धारित कार्य अब बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2018 को लिए जाएं।

3. बुधवार, दिनांक 4 अप्रील, 2018 को सदन की बैठक नहीं हो।

2. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को सदन द्वारा स्वीकृत किया जाना

माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 19.3.2018 के कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकृत हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने कार्यस्थगन के माध्यम से एक केन्द्रीय मंत्री के द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाने के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के कार्यस्थन प्रस्तावों के निष्पादन की कंडिका 6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से खड़े होकर केन्द्रीय मंत्री पर कार्रवाई की मांग करती रहीं, जबकि राजद के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आकर पोस्टर दिखाते हुए जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे। माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से यह स्पष्ट नियमन देने की कृपा की कि सदन की कार्यवाही चलेगी, इसलिए आपलोग कृपया स्थान ग्रहण करें। इसके बाद माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये।

4. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 135, 136, 137, 138 उत्तरित हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 135 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सरकार ने कहा है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, सरकार ने स्पष्ट उत्तर दिया है। आप अलग से स्पेसिफिक लिखित कम्प्लेन दीजिए।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 136 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने कहा कि दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर रहे हैं और यह कृषि विभाग को चला गया है। उन्होंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया कि आप कृषि विभाग से क्वैरी कर लीजिए कि कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-215, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 335, 336 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 334, 337 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 320, 332, 333 व्यपगत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 327 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने कहा कि पुरानी योजना बंद हो गई है और नई योजना चालू नहीं हुई है। जहां चापाकल स्थापित हैं, उसी कठिनाई को वे दूर करेंगे। जब समय-सीमा के अंदर माननीय सदस्यों द्वारा सूची दी गई और टेंडर भी हुआ तो चापाकल लगना चाहिए क्योंकि इसमें माननीय सदस्यों की कोई गलती तो है नहीं। माननीय मंत्री, आप भी कभी इस प्रश्न को उठाते थे, आज आपके हाथ में ये जवाबदेही है। हमारे माननीय सदस्यों को दिक्कत नहीं हो, इसका ख्याल रखें।

तारांकित प्रश्न संख्या- 328 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप सभी इस उच्च सदन के माननीय सदस्य हैं। जो भी प्रश्न पूछा जाता है, कृपया उसका पूरक प्रश्न से ही संबंधित आए और अगर कोई नीति या नियम की बात है तो अलग से भी प्रश्न किया जा सकता है।

5. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदार नाथ पाण्डेय
2. श्री राधाचरण साह
3. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

शून्यकाल की सूचनाओं पर आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, सरकार संज्ञान में लेगी। माननीय मंत्री से आग्रह है कि जो भी शून्यकाल की सूचनाएं शिक्षा विभाग से संबंधित आई हैं, सरकार उसको संज्ञान में लेगी।

6. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री शिवप्रसन्न यादव द्वारा बिहार विधान मंडल के महिला सदस्यों के माता-पिता के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार द्वारा पारंपरिक पेशा कंसार को कुटीर या लघु उद्योग का दर्जा देकर कानू समाज के आर्थिक उत्थान हेतु सरकारी सहायता देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने वक्तव्य दिया एवं माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने भी सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट किया।

3. माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह द्वारा न्याय निर्णयों के अनुपालन हेतु मुख्यालय के सभी विभागों में अनुश्रवण कोषांग की स्थापना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

(अंतराल)

4. माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता द्वारा सहकारिता के माध्यम से राज्य में चीनी मिलों की स्थापना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री राणा गंगेश्वर सिंह एवं श्री शिव प्रसन्न यादव द्वारा सुलभ शौचालय अथवा सुलभ इंटरनेशनल द्वारा कमाई का अंश राज्य सरकार को नहीं दिये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर समय लिया गया।

7. **वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**
(परिवहन, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण, सूचना एवं जनसम्पर्क)

विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय
2. श्री कमर आलम
3. श्री सतीश कुमार
4. डा. उपेन्द्र प्रसाद
5. श्री कृष्ण कुमार सिंह
6. श्री राधा चरण साह
7. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
8. श्री दिलीप कुमार जायसवाल
9. श्री सी.पी. सिन्हा

विभागवार सामान्य वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से निम्नांकित माननीय मंत्रियों ने वक्तव्य दिया –

1. श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
(माननीय मंत्री ने शेष भाषण की प्रति सदन पटल पर रखा।)

2. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का वक्तव्य दिया एवं शेष भाषण की प्रति पुस्तिका के रूप में सदन पटल पर रखा।)

3. श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग (माननीय मंत्री ने बजट भाषण की प्रति पुस्तिका के रूप में सदन पटल पर रखा।)

8. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि शेष कार्यों के संपादन होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन द्वारा इसपर सहमति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

(परिवहन, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण, सूचना एवं जनसम्पर्क)

3. श्री संतोष कुमार निराला, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग (माननीय मंत्री ने बजट भाषण की प्रति पुस्तिका के रूप में सदन पटल पर रखा।)

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री संजीव श्याम सिंह
2. श्री संजय प्रसाद
3. श्री केदारनाथ पाण्डेय
4. श्री सोनेलाल मेहता
5. श्री चन्देश्वर प्रसाद
6. प्रो. नवल किशोर यादव
7. श्री कृष्ण कुमार सिंह
8. श्री सी.पी. सिन्हा
9. श्री शिवप्रसन्न यादव
10. श्री राधाचरण साह

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 21.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

20/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 532 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 20.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
20-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।